

14.08.2025

वादीगण अनुपस्थित तथा उसकी ओर से श्री सईद खान अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा श्रीमती सुरेखा आमले अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा श्री सुरेन्द्र एस. बारी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण वादी साक्ष्य हेतु नियत है।

वादी साक्षीगण अनुपस्थित।

प्रकरण में वादीगण एवं उनके अधिवक्ता को समय 11:00 बजे से 02:00 बजे तक बार-बार पुकार लगवाई गयी, उसके उपरांत भी इस प्रकरण में वादीगण एवं उसके अधिवक्ता कार्यवाही करने के लिये उपस्थित नहीं हुए हैं।

प्रकरण वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिति हेतु कुछ समय पश्चात् पेश हो।

शीतल बघेल

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

पुनश्च:-

वादीगण अनुपस्थित तथा उसकी ओर से श्री सईद खान अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा श्रीमती सुरेखा आमले अधिवक्ता उपस्थित।

प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा श्री सुरेन्द्र एस. बारी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में प्रकरण में वादीगण एवं उसके अधिवक्ता को समय 02:30 बजे से 05:30 बजे तक बार-बार पुकार लगवाई गयी, उसके उपरांत भी इस प्रकरण में वादीगण एवं उनके अधिवक्ता कार्यवाही करने के लिये उपस्थित नहीं हुए हैं।

अतः वादीगण एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी के प्रावधान के अंतर्गत वादी का वाद **खारिज** किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत समयावधि के
अंदर अभिलेखागार भेजा जावे।

शीतल बघेल
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

